

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर्स को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रत्येक के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि वे स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर के पद पर नियुक्त रहें :—

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम	जिला
१	श्री अम्बा प्रसाद	बनारस ।
२	," त्रिलोक सिंह	फैजाबाद ।
३	," फैयाज हुसेन	झांसी ।
४	," दीनानाथ शर्मा	गोरखपुर ।

२४ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ५६२१/१-अ-२०६-५४-लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८६४ (ऐक्ट संख्या १, १८९४) की धारा ३ के खंड (तो) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री कृष्णा सागर त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर, बस्ती को उक्त ऐक्ट के अधीन जिला बस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं ।

विविध

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३२०८/१४-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उस बीच में राज्य सरकार के अधिकारों के बाधित होने की आशंका है ।

अतएव अब वह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिक्रियात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करके ऐसी जांच होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त ऐक्ट के सेक्टर ४ के निदेश इससे संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पर लागू प्रत्यापित करते हैं ।

अनुसूची

क्रम-संख्या	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई मीलों में	सीमा का वर्गन
१	ग्रैंड टुक रोड, मील ५.६२/० से लेकर मील ६.६३/० तक	कानपुर	७१ ० ०	जमीन की हदबन्दी पर्यन्त या सीमेंट के स्तम्भों या खाइयों द्वारा उक्त स्थान पर की गई है ।
२	कानपुर-कालपी सड़क, मील ५२/० से लेकर मील ६६/० तक	"	४४ ० ०	"
३	कानपुर-हमीरपुर सड़क, मील २/० से लेकर मील ३९/० तक	"	३७ ० ०	"
४	श्रीलडमगल रोड, मील ११६/० से मील १७३/० तक	"	५४ ० ०	"
५	लखनऊ-कानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ४६/३-६४० फीट तक	लखनऊ और उन्नाव	४६ ३ ६४०	"
६	लखनऊ-बरेली सड़क मील /० से लेकर मील १५२/० तक	लखनऊ, सीतापुर, शाह-जापुर, बरेली	१५२ ० ०	"
७	लखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मील /० से लेकर १०८/० तक	लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़	१०८ ० ०	"
८	लखनऊ-सुल्तानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ८५/१-२२८ फीट तक	लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी और सुल्तानपुर	८५ १ २२८	"
९	लखनऊ-फैजाबाद सड़क, मील /० से लेकर मील ७६/३-३६६ फी० तक	लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद	७६ ३ ३६६	"

प्रतिष्ठित
 मुब
 प्रबन्धीय निदेशक
 राज्यपाल वन प्रभाग
 बाराबंकी

वन विभाग

छुट्टी

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०/१४-६०(१)-५५-श्री आर० एन० गंगोला, पी० एफ० एस०, डिप्टी कन्सर्वेटर आफ फारेस्ट्स को २२ सितम्बर, १९५५ ई० से ३१ दिन की उपाजित छुट्टी दी जाती है और उन्हें २३ से २६ अक्टूबर, १९५५ ई० रविवार तथा अन्य गजट्टेड छुट्टियां उस छुट्टी के साथ सम्मिलित करने की आज्ञा दी जाती है ।

नियुक्ति

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०(२)/१४-६०(१)-५५-कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से श्री श्रीब्रह्मा, पी० एफ० एस०, असिस्टेंट कन्सर्वेटर आफ फारेस्ट्स को श्री आर० एन० गंगोला, पी० एफ० एस० के स्थान पर, जिनको छुट्टी दी गई है, स्थानापन्न डिप्टी कन्सर्वेटर आफ फारेस्ट्स, कालागढ़ फारेस्ट डिवीजन नियुक्त किया जाता है ।

क्रम सं०	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई मीलों में	सीमा का वर्णन
१०	इलाहाबाद-फंजाबाद सड़क, मील ०।० से लेकर मील ६।५-५१३ फी० तक	इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फंजाबाद	६८ ६ ५१३	जमीन की हवबन्दी पत्रपर या सीमेंट के स्तम्भों या खाइयों द्वारा उस सीमा र की गई है।
११	बाराबंकी-वहरामघाट सड़क, मील ०।० से लेकर मील २५।० तक	बाराबंकी	२५ ० ०	"
१२	सीतापुर-जहांगीराबाद सड़क, मील ०।० से लेकर मील २५।० तक	सीतापुर	२५ ० ०	"
१३	मेरठ-बरेली सड़क (सिदाय रामपुर स्टेट के), मील ३४।०।० से लेकर मील ८६।५-३०० फीट तक और मील १०६।७-६८ फी० से लेकर मील १२६।०।० तक	मुरादाबाद और बरेली	७४ ६ २३२	"
१४	बरेली-मथुरा सड़क मील, ०।० से लेकर मील ५।० तक	बरेली और बदायूं	५ ० ०	"
१५	बरेली-अल्मोड़ा सड़क, मील ०।० से लेकर मील ६३।० तक	बरेली और नैनीताल	६३ ० ०	"
१६	बरेली-पोलीभीत सड़क, मील ०।० से लेकर मील ३३।० तक	बरेली और पोलीभीत	३३ ० ०	"
१७	पोलीभीत-टनकपुर सड़क, मील ३३।० से लेकर मील ६२।० तक	पोलीभीत और नैनीताल	२६ ० ०	"
१८-(अ)	जोधा-विजनीर सड़क, मील १६।०।० से लेकर मील ७।५ तक	मुरादाबाद और बिजनीर	५९ ६ ०	"
१८-(ब)	विजनीर-रावली सड़क, मील ०।० से लेकर मील ७।० तक	मुरादाबाद और बिजनीर	७ ० ०	"

सं० ३२०८ (२)/१४-इंडियन फॉरेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) को धारा ३० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रक्षित वनों (protected forests) में जो दिनांक २३ अगस्त, १९५५ की विज्ञप्ति संख्या ३२०८/१४ द्वारा इस रूप में प्रख्यापित किये गये थे, लगे हुये और बढ़ते हुये पेड़ों के निम्नलिखित वर्गों को इस विज्ञप्ति के दिनांक से सुरक्षित (reserved) प्रख्यापित करते हैं:-

- ४३--पतजू, पतजी, पुत्रजीय
- ४४--साल
- ४५--तार चरबी
- ४६--वेद, बिल्ला
- ४७--गोबगुदाला
- ४८--सिहोर
- ४९--बाजुन.

- ५०--इमली
- ५१--घड़ेड़ा
- ५२--असता या सैन
- ५३--गुदेल
- ५४--सामोत या टोका
- ५५--रीठा

वृक्षों के नाम

- १--बबूल
- २--खैर
- ३--झरू
- ४--सफेद सिरिस
- ५--हल्दी
- ६--काला सिरिस
- ७--नीम
- ८--रुद्रम
- ९--रियोज
- १०--वाकली
- ११--महुआ
- १२--कचनार
- १३--सेमल
- १४--ढाक
- १५--अमन्तास
- १६--तुन
- १७--लसोड़ा
- १८--विलायती शीशम सितसाल
- १९--शीशम
- २०--यूकैलिप्टस
- २१--जामुन
- २२--बरगद
- २३--गूलर
- २४--पाकड़
- २५--रोपल
- २६--कैथा
- २७--गम्हार या खमार
- २८--कजू या पापड़ी
- २९--सामोन
- ३०--बोरंग
- ३१--भाम
- ३२--बकून
- ३३--नीम चमेली
- ३४--तूत
- ३५--मोलसारी
- ३६--सोजना
- ३७--अशोक
- ३८--बिलायती बबूल
- ३९--छोकर
- ४०--गोल्ड मोहर, गुल मोहर
- ४१--कंजी
- ४२--खजूब

संशोधन

२२ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३६६४/१४-४५८-५४-१६५० ई० के उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम (१९५१) का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १) की धारा ११७ के द्वितीय-प्रतिबन्ध से मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में प्रवर्धित क्षेत्र को जो ११ अक्टूबर, १९५२ की विज्ञप्ति सं० ६१७/१४ के अन्तर्गत गांधी-समाज में निहित हुआ था, वापस लेते हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूमि का क्षेत्रफल
उत्तरांचल	हसनगंज	हालीटर	म. दूमपुर	६६ एकड़

प्रतिष्ठित अधिकारी
 New